न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 6/20 वाद GCMS NO : 2020/00015

फतेह सिंह पिता श्री भुर सिंह जी चुण्डावत, निवासी सिहाड़ा, पटवार हल्का साकरोदा, तहसील कुराबड़, उदयपुर

.....वादी

बनाम

1. श्री शंकर पिता स्व. दल्ला जी गाडरी,
2. श्री लाल पिता स्व. दल्ला जी गाडरी,
3. श्रीमती रम्भा बाई पत्नि स्व. दल्ला जी गाडरी, सर्व निवासीयान सिहाड़ा, तहसील कुराबड़, उदयपुर

.....प्रतिवादीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थितः– श्री लक्ष्मीलाल जैन अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

दिनांक :

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर यह निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम सिहाड़ा, पटवार मण्डल साकरोदा, तहसील कुराबड़, उदयपुर में प्रार्थी एवं विपक्षीगण के संयुक्त स्वामित्व एवं अधिपत्य की आराजी संख्या 959 रकबा 2.7500 हैक्टयर भूमि होकर दोनों अपने अपने हिस्से पर काबिज है। उक्त भूमि में प्रार्थी का 432/2750 वां हक व हिस्सा निहित है, तथा उक्त भूमि को प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 2 लाला गाडरी पिता दल्ला जी गाडरी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र [illegible] 10.11.2006 को लाला गाडरी से 0.4320 यानि 2 बीघा भूमि क्रय [illegible] किया तब से अपने हिस्से पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.10.21 10:38:19 IST
Reason: SelfAttested

काबिज है। लेकिन संयुक्त खाता होने से विपक्षीगण आए दिन मौके पर विवाद उत्पन्न करते रहते है, जिससे प्रार्थी, विपक्षी के उक्त जमीन नही रखना चाहते है, तथा भूमि का अलग से बंटवाडा कराना चाहते है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी के पक्ष में व विपक्षीगण के विरूद्ध मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में अन्य विपक्षीगण को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने से जवाब अवसर बंद किया गया।

प्रार्थी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण व अपूणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होती है अतः पक्षकारों के मध्य आगे कोई विवाद बाहुल्यता ना हो तथा प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति ना हो इस हेतु उभयपक्ष (प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 3) को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि राजस्व ग्राम सिहाड़ा, पटवार मण्डल साकरोदा, तहसील कुराबड़ के वादपत्र में अंकित आराजीयात आराजी संख्या 959 रकबा 2.7500 हैक्टयर एवम् प्रतिदावा में अंकित आराजी संख्या 959, 960, 1029, 388, 390, 391, 549, 550, 551, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 319, 328, 329, 330, 533, 537, 538, 546, 547, 548, 566 में रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। किसी अन्य व्यक्ति को भूमि विक्रय नहीं करें तथा भूमि की किस्म को परिवर्तन नहीं करें।
निर्णय सरेईजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
गिर्वा – उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.10.21 10:38:19 IST
Reason: SelfAttested